शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

समक्ष : काष्ठ आधारित उद्योग सम्बन्धी राज्य स्तरीय समिति, उ0प्र0, लखनऊ।

* शपथकर्ता श्री/श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी ...., जिला ....., प्रदेश.....

मैं उपरोक्त नामित शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूं कि:–

(1) यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मेरा नाम व पता सब सत्य है एवं मैं शपथकर्ता होने के कारण शपथ–पत्र में दिये गये तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं।

(2) यह कि विभाग द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग सम्बन्धी नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार है–

सफल आवेदक के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काष्ठ आधारित उद्योग (का0आ0उ0) इकाई स्थापित करने के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए नियम और शर्तें

1) आवेदन केवल 'ऑनलाइन मोड' में वन एवं वन्यजीव विभाग, उत्तर प्रदेश काष्ठ आधारित उद्योग की वेबसाइट www.upforest.gov.in (काष्ठ आधारित उद्योग एम0आई0एस0 के अन्तर्गत का0आ0उ0 इकाई के नवीन लाइसेंस के लिए संबंधित पोर्टल) में भरे जायेंगे। आवेदक संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन जमा करने में उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक निदेशकों के दूरभाष नंबर वन एवं वन्यजीव विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, का0आ0उ0 उत्तर प्रदेश के कार्यालय से उनके फोन नंबर 0522–2206184 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

2) अर्हता मानदंड: –

(अ) आवेदक की आयु आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक को 18 वर्ष की होनी चाहिये।

(ब) का0आ0उ0 इकाईयों की सभी श्रेणियों में प्रस्तावित निवेश रू0 100 करोड़ तक होने की स्थिति में सकल सम्पत्ति (नेट वर्थ) प्रस्तावित निवेश के एक चौथाई एवं प्रस्तावित निवेश रुपये 100 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में सकल सम्पत्ति (नेट वर्थ), प्रस्तावित निवेश का एक तिहाई से न्यून नहीं होना चाहिये। आवेदकों को अपनी सकल सम्पत्ति (नेट वर्थ) के प्रमाण के रूप में सम्बन्धित अभिलेख जमा करने होंगे। इन अभिलेखों में 3 वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, 3 वर्षों का आयकर रिटर्न, बैंक से प्राप्त सॉल्वैसी प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रासंगिक अभिलेख शामिल हैं।

3) प्रकाष्ठ आधारित उद्योग आठ श्रेणियों में वर्गीकृत हैं जिनके अन्तर्गत आवेदक नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। ये श्रेणियां हैं 1) आरा मिल, 2) विनियर मिल, 3) प्लाईवुड इकाई, 4) विनियर एवं प्लाईवुड इकाई, 5) स्टैण्ड एलोन चिपर, 6) एम0डी0एफ0, एच0डी0एफ0, 7) पार्टिकल बोर्ड इकाई, 8) एम0डी0एफ0/ एच0डी0एफ0 + पार्टिकल बोर्ड इकाई

4) चूंकि प्र0आ0उ0 की प्रत्येक श्रेणी में मशीनरी सीधे प्रकाष्ठ की खपत से जुड़ी हुई है, अतः राज्य स्तरीय समिति (एस0एल0सी0) द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न मशीनरी की संख्या को आवश्यकतानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न मशीनरी की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जिसके लिए आवेदक आवेदन कर सकता है, निम्नानुसार होना चाहिये: –

श्रेणी का नाम	मशीनरी की न्यूनतम संख्या	मशीनरी की अधिकतम संख्या	अभ्युक्ति
आरा मिल	एक एच0बी0एस0 या एक वी0बी0एस0	एक एच0बी0एस0 और एक वी0बी0एस0 या दो वी0बी0एस0	
विनियर मिल	4 फुट का एक पीलर या 8 फुट का एक पीलर + 10 अश्वशक्ति की एक वी0बी0एस0	4 फुट दो पीलर या 8 फुट का एक पीलर या 4 फुट का एक पीलर व 8 फुट का एक पीलर + 10 अश्वशक्ति की एक वी0बी0एस0	
प्लाईवुड इकाई	एक प्रेस के साथ आवेदक की इच्छा के अनुसार के साथ डेलाइट्स की संख्या एवं आकार	दो प्रेस के साथ आवेदक की इच्छा के अनुसार के साथ डेलाइट्स की संख्या एवं आकार	
विनियर एवं प्लाईवुड इकाई	4 फुट का एक पीलर + 10 अश्वशक्ति की एक वी0बी0एस0 + एक प्रेस के साथ आवेदक की इच्छा के अनुसार डेलाइट्स की संख्या एवं आकार	4 फुट दो पीलर या 8 फुट का एक पीलर या 4 फुट का एक पीलर व 8 फुट का एक पीलर + 10 अश्वशक्ति की दो वी0बी0एस0 + दो प्रेस के साथ आवेदक की इच्छा के अनुसार डेलाइट्स की संख्या	आवेदक एक चिपर अतिरिक्त का विकल्प दे

		एवं आकार	सकता है।
स्टैण्ड एलोन चिपर	एक टन क्षमता का एक चिपर	एक चिपर या दो चिपर (कुल क्षमता 5 टन से अधिक नही)	
एम0डी0एफ0 / एच0 डी0एफ0	–	–	संयुक्त इकाई (कम्पोसिट इकाई)
पार्टिकल बोर्ड इकाई	–	–	
एम0डी0एफ0 / एच0 डी0एफ0 एवं पार्टिकल बोर्ड इकाई	–	–	

* कम्पनी / फर्म के प्रकरण में कम्पनी / फर्म द्वारा अधिकृत आवेदक द्वारा शपथपत्र दिया जायेगा।

5) आवेदक, एक कानूनी इकाई के रूप में, प्रत्येक श्रेणी में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हैं। कानूनी इकाई में व्यक्तिगत, एकल साझेदारी वाली फर्म, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का संघ (ए0ओ0पी0), हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सरकारी विभाग या उपक्रम और सीमित देयता भागीदारी (एल0एल0पी0) शामिल है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग आवेदन की आवश्यकता होगी। आवेदक के एक से अधिक श्रेणियों के लिए सफल होने की स्थिति में वह अपनी पसंद की श्रेणी में केवल एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा।

6) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन इस उद्देश्य के लिए मात्राकृत की गई उपलब्ध प्रकाष्ठ से अधिक होने की स्थिति में का0आ0उ0 की ऐसी श्रेणी के लिए पारदर्शी तरीके से लॉट का ऑनलाइन ड्रा आयोजित किया जाएगा। किसी भी मामले में आवेदक के ड्रा के माध्यम से एक से अधिक श्रेणियों में लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो जाने की स्थिति में उसे अपनी पसंद की श्रेणी में केवल एक लाइसेंस प्राप्त होगा।

7) पोर्टल में प्राविधानित भुगतान गेटवे के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के समय प्रतिभूति धनराशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में का0आ0उ0 इकाई की प्रत्येक श्रेणी के लिये निर्धारित वार्षिक शुल्क के समतुल्य धनराशि जमा करनी होगी। सफल आवेदकों से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय जमा कराई गई प्रतिभूति धनराशि लेटर ऑफ ऑफर /सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करते समय आगामी 5 वर्षों हेतु जमा की जाने वाली वार्षिक शुल्क की धनराशि में समायोजित की जायेगी। का0आ0उ0 की समस्त श्रेणियों के लिए वार्षिक शुल्क राशि निम्नानुसार हैः–

इकाई का नाम	वार्षिक शुल्क (रू0 में)	प्रथम 5 वर्षो के लिये शुल्क (रू0 में)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रतिभूमि धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**
सॉ–मिल वार्टिकल बैण्ड–सॉ 10 हॉर्स पावर तक	2,000	10,000	वार्षित शुल्क कालम नम्बर 2 के अनुसार
सॉ–मिल वार्टिकल बैण्ड–सॉ 10 हॉर्स पावर से अधिक या होरीजेन्टल बैण्ड–सॉ	15,000	75,000	
सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 25 लाख से अधिक न हो)	30,000	1,50,000	
लघु उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 25 लाख से अधिक किन्तु रू0 5 करोड़ से अधिक न हो)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु न्यूनतम रू0 30,000 एवं अधिकतम रू0 3.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु न्यूनतम रू0 1.5 लाख एवं अधिकतम रू0 15.00 लाख	
मध्यम उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से अधिक न हो)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रू0 6. 00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रू0 30. 00 लाख	
अन्य श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिये (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 10 करोड़ से अधिक)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रू0 20. 00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रू0 1. 00 करोड़	

8) सफल आवेदक को लाइसेंस दो चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदकों से प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने में सफल होने पर आवेदक को सैद्धान्तिक अनुमोदन/प्रस्ताव पत्र निर्गत किया जाएगा। इस पत्र में विभिन्न नियम और शर्तें निर्धारित होगी। इन शर्तो में भूमि, उपकरण एवं संयंत्र की खरीद व्यवस्था एवं का0आ0उ0 स्थापित करने हेतु एस0एल0सी0 द्वारा निर्दिष्ट समयरेखा आदि शामिल होंगे।

9) प्रत्येक सफल आवेदक को सैद्धान्तिक स्वीकृति/प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक मास के अन्दर का0आ0उ0 की सुसंगत श्रेणी हेतु निर्धारित 04 वर्ष का अवशेष वार्षिक शुल्क स्वीकार पत्र के साथ ऑनलाईन जमा करनी होगी। स्वीकार पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप, प्रस्ताव पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त पैरा 7 की तालिका में उल्लिखित का0आ0उ0 इकाइयों के लिए निर्धारित प्रथम 5 वर्षों के शुल्क का भुगतान नए लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व करना होगा। यह लाइसेंस निर्गत होने के वर्ष से पांचवें वर्ष के 31 दिसंबर तक मान्य होगा। इसके उपरान्त उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 के अनुसार ''वार्षिक नवीनीकरण शुल्क'' के भुगतान के बाद लाइसेंस 1 से 5 साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।

10) का0आ0उ0 इकाई के आवेदक द्वारा संयंत्र और मशीनरी की लागत असत्य/कम दर्शाये जाने पर ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुये सैद्धांतिक स्वीकृति/प्रस्ताव पत्र या वास्तविक लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

11) ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के समय सकल सम्पत्ति (नेट वर्थ) समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने वालों के ऑनलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सकल सम्पत्ति (नेट वर्थ) मानदंड आवश्यकता पूर्ण न करने वाले आवेदकों के आवेदन आगामी जाँच के लिये स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उनके आवेदन अनर्ह के रूप में निरस्त हो जायेंगे। केवल अर्ह आवेदकों में से ही ऑनलाइन Draw of lots के माध्यम से सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

12) सैद्धांतिक स्वीकृति/प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने वाला आवेदक यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उस श्रेणी के लिए जमा प्रतिभूमि धनराशि जिसमें आवेदक को लाइसेंस की पेशकश की जा रही है उसे जब्त कर लिया जाएगा और कोई भी धनराशि वापस नहीं लौटाई जाएगी। ऐसा आवेदक जिसे प्रस्ताव पत्र जारी किया गया है, किन्तु निर्धारित एक महीने की अवधि में उसका स्वीकार पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इसे आवेदक द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकार्यता के रूप में माना जाएगा जिसके लिए केवल सम्बन्धित आवेदक ही उत्तरदायी होगा।

13) सैद्धांतिक स्वीकृति/ प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने के उपरान्त यदि आवेदक निर्धारित अवधि तक उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है तब उस स्थिति में ऐसा माना जायेगा कि सैद्धांन्तिक स्वीकृति/प्रस्ताव पत्र निरस्त हो गया है और उस श्रेणी के लिए जिसके लिये आवेदक को लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित किया गया था, की प्रतिभूमि धनराशि एवं शेष 4 वर्ष का जमा किया गया वार्षिक शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

14) ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से एक से अधिक श्रेणियों में आवेदक के सफल होने की स्थिति में उसे अपनी पसंद की श्रेणी में केवल एक लाइसेंस बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रकरणों में लाइसेंस बनाये रखने की श्रेणी के अतिरिक्त श्रेणियों में जमा प्रतिभूति धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। असफल आवेदकों को प्रतिभूति धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

15) सफल आवेदक जिसे सैद्धांतिक स्वीकृति/प्रस्ताव पत्र दिया गया है या का0आ0उ0 इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, वह सैद्धांतिक स्वीकृति/ प्रस्ताव पत्र या 'निर्गत किया गया वास्तविक लाइसेंस' स्थानांतरित करने के लिये का0आ0उ0 इकाई स्थापित करने के पूर्व अर्ह नहीं होगा।

16) प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में वचनबद्धता देनी होगी कि वह का0आ0उ0 इकाई की स्थापना और संचालन के लिए प्रासंगिक सभी कानूनों/नियमों/निर्णयों एवं एस0एल0सी0 का0आ0उ0 उत्तर प्रदेश, अन्य राजकीय संस्थानों, न्यायालय जिसमें सुसंगत मार्ग निर्देशों/नियमावलियों/भारतीय वन अधिनियम आदि के अनुसार एस0एल0सी0 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल है, जारी सभी निर्देशों का पालन करेगा।

17) भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन मार्ग निर्देश 2016 (यथा संशोधित) एवं उ0प्र0 प्रकाष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन (षष्ठम संशोधन) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत का0आ0उ0 इकाइयों के पंजीकरण मा0 उच्च न्यायालय में दायर पी0आई0एल0 सिविल संख्या 1866/2018 (एसोसियेशन फार कामन प्यूपिल बनाम भारत संघ) के अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

18) काष्ठ आधारित उद्योगों को निकटतम अधिसूचित वनों या संरक्षित क्षेत्रों जिसमें सड़क किनारे/रेलवे लाइन किनारे/नहर किनारे वृक्षारोपण शामिल नहीं है, के 10 किमी0 की हवाई दूरी से बाहर काष्ठ आधारित उद्योगों के संचालन की ही अनुमति दी जायेगी। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते है, ऐसी इकाइयां निकटतम अधिसूचित वन या संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती सीमा की हवाई

दूरी से मुक्त होगी। संरक्षित क्षेत्रों के ईको सेंसिटिव जोन के प्राविधान जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित हो काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के समय सज्ञान में लिये जायेंगे।

(3) यह कि मैंने उपरोक्त काष्ठ आधारित उद्योग सम्बन्धी नियम एवं शर्तो को पढ़कर भलीभांति समझ लिया है एवं मैं इन नियम एवं शर्तों का अक्षरशः से पालन करूगा।

(4) यह कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विभाग द्वारा लिया गया निर्णय मुझे स्वीकार होगा।

शपथी का नाम व हस्ताक्षर